न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 801 / 2019

1 अभिषेक गोदारा वल्द रणजीतसिंह जाति बिश्नाई साकिन किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ ।

वादी

बनाम

1 रणजीत वल्द ताराचन्द जाति जाति बिश्नाई साकिन किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ ।
2 जम्भिका गोदारा पुत्री रणजीतसिंह जाति बिश्नाई साकिन किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ ।
3 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सादुलशहर ।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 ,53राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री चिमनलाल दुआ अधिवक्ता (वादी)
2 श्री त्रिलोकचन्द चायल अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 2
3 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

निर्णय दिनांक :– 6.2.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत 88,53 आर.टी. ए. के तहत इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या– 1 एक ही खान दान के है । चक 17 पीटीपी मे खाता संख्या 63 / 65 मे प.न. 108 / 144 मु.न. 14 का किला नं. 11,12,13,16,17,18 / 1.518 हैक्टैयर प.न. 108 / 150 मु.न. 38 का किला नं. 7,21,22,23,24 / 1.265 हैक्टैयर प.न. 108 / 151 मु.न. 39 का किला नं. 1! 0.253 हैक्टेयर कुल 3.036 हैक्टैयर नहरी रकबा प्रतिवादी संख्या 1 नाम से दर्ज कागजात पटवार माल है । जो विरासतन प्राप्त है जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है । वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बीच विरासतन रकबा को लेकर आज से 5 साल पूर्व एक घरू बंटवारा हुआ था और मुताबिक बंटवारा मे वादी को निम्न प्रकार से रकबा हिस्सा मे आया था – चक 17 पीटीपी मे खाता संख्या 63 / 65 मे प.न. 108 / 144 मु.न. 14 का किला नं. 11,12,13,16,17,18 / 1.518 हैक्टैयर प.न. 108 / 150 मु.न. 38 का किला नं. 7,21,22,23,24 / 1.265 हैक्टैयर प.न. 108 / 151 मु.न. 39 का किला नं. 1! 0.253 हैक्टेयर कुल 3.036 हैक्टैयर नहरी रकबा हिस्सा मे आया था और मुताबिक बंटवारा के वादी उपरोक्तानुसार रकबा पर काबिज है । वादी उपरोक्तानुसार अपने अपने रकबा पर तकरीबन 5 सालो से काबिज चले आ रहे है । राजस्व रिकॉर्ड मे चक 17 पीटीपी मे खाता संख्या 63 / 65 मे प.न. 108 / 144 मु.न. 14 का किला नं. 11,12,13,16,17,18 / 1.518 हैक्टैयर प.न. 108 / 150 मु.न. 38 का किला नं. 7,21,22,23,24 / 1.265 हैक्टैयर प.न. 108 / 151 मु.न. 39 का किला नं. 1! 0.253 हैक्टेयर कुल 3.036 हैक्टैयर नहरी रकबा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने से वादी को काफी मुश्किलो का सामना करना पड़ता है वादीगण को बैक लोन लेने तथा अन्य सरकारी सुविधाएं लेने मे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है । वादी ने कई बार प्रतिवादीगण से कहा कि आप हमारे कब्जा काश्त का रकबा हमारे नाम करवान के लिऐ तहसीलदार महोदय के पास अपनी सहमति के ब्यान दे दो ताकि उक्त रकबा मेरे नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हो सके । परन्तु प्रतिवादी आज कल आज कल करता रहा और आज से 2 रोज पूर्व रकबा वादी के नाम करवाने से

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

साफ इंकार हो गया । बस यही बिनाय दावा है । जो वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के विरूध हासिल हुआ है । वगैरा–वगैरा।

अतः वाद वादी मय हलफनामा के दो प्रतियो मे पेश कर निवेदन है कि वादी को चक 17 पीटीपी मे खाता संख्या 63/65 मे प.न. 108/144 मु.न. 14 का किला नं. 11,12,13,16,17,18 / 1.518 हैक्टैयर प.न. 108/150 मु.न. 38 का किला नं. 7,21,22,23,24 / 1.265 हैक्टैयर प.न. 108/151 मु.न. 39 का किला नं. 1 में 0.253 हैक्टेयर कुल 3.036 हैक्टैयर नहरी रकबा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव इस हद तक प्रतिवादीसंख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी का खाता अलग कायम किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जरिये वकील उपस्थित होकर इकबाल दावा पेश कर वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। जवाब स्टेट पेश हुआ राज्यहित को ध्यान मे रखते हुये वाद वादी मे उचित आदेश फरमाये जाने की इस्तदुआ की गयी।

बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादी ने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी ने वादी के कथनों में अपनी सहमति प्रकट की। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी प्रतिवादी संख्या 1का पुत्र है एव विवादित विरासतन आराजी में पारिवारिक बंटवारा के अनूसार पुत्र होने के नाते खातेदारी घोषणा एव खाता तकसीम का अनूतोष चाहा गया है जो कि वादी के द्वारा चाहे गये अनूतोष की आराजी का खाता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से अलग कायम है एव वादी व प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक बंटवारा को प्रतिवादीगण ने इकबाल कथनों से स्वीकार किया है , वादी व प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद नही है एव ना ही प्रतिवादीगण को पारिवारिक बंटवारा एव कब्जा काश्त के सम्बध में कोई विरोध है इस प्रकार वादी ने अपने वाद पत्र को अभिकथनों, दस्तावेजी साक्ष्यों, बहस व इकबाल कथनों से बखूबी साबित किया है। वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :– चक 17 पीटीपी मे खाता संख्या 63/65 मे प.न. 108/144 मु.न. 14 का किला नं. 11,12,13,16,17,18 / 1.518 हैक्टैयर प.न. 108/150 मु.न. 38 का किला नं. 7,21,22,23,24 / 1.265 हैक्टैयर प.न. 108/151 मु.न. 39 का किला नं. 1 में 0.253 हैक्टेयर कुल 3.036 हैक्टैयर नहरी आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानूसार ही वादी का खाता अलग कायम किया जाकर वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। निर्धारित स्टाम्प डयूटी पेश होने पर उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 6.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6.2.2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

संख्याक–01

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 801/ 2019

1 अभिषेक गोदारा वल्द रणजीतसिंह जाति बिश्नाई साकिन किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ ।

वादी

बनाम

1 रणजीत वल्द ताराचन्द जाति जाति बिश्नाई साकिन किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ ।

2 जम्भिका गोदारा पुत्री रणजीतसिंह जाति बिश्नाई साकिन किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ ।

3 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सादुलशहर ।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 ,53राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरु हमारे बहाजरी श्री चिमनला दुआ वकील वादीगण मिन जामिन मुद्दई श्री त्रिलोकचन्द चायल वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुद्दायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि:– चक 17 पीटीपी मे खाता संख्या 63/65 मे प.न. 108/144 मु.न. 14 का किला नं. 11,12,13,16,17,18 / 1.518 हैक्टैयर प.न. 108/150 मु.न. 38 का किला नं. 7,21,22,23,24 / 1.265 हैक्टैयर प.न. 108/151 मु. न. 39 का किला नं. 1 में 0.253 हैक्टेयर कुल 3.036 हैक्टैयर नहरी आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानूसार ही वादी का खाता अलग कायम किया जाकर वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

बसख्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 6.2.2020 को जारी किया गया।

6.2.2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.03.16 17:00:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: